आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०—84 / 2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री अशोक कुमार एवं अन्य——विक्रेता
प्रति
श्री मुन्नी चौधरी——क्रेता

—:आदेशः—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक / विक्रेता 1. श्री अशोक कुमार, 2. जितेन्द्र कुमार, दोनों के पिता—स्व० दरगाही राम, ग्राम—पिपरा खूर्द, पोस्ट—गढ़वा, थाना—गढ़वा, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री मुन्नी चौधरी, पिता स्व० रामसेवक चौधरी, ग्राम—परिहारा, पोस्ट—तिलदाग, थाना—गढ़वा, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 35 / दिनांक 20.01.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेतागण के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेतागण के पिता एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के कुर्मी महतो (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक / विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल—कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू—हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन / अनुशंसा के आलोक में आवेदक / विक्रेता 1. श्री अशोक कुमार, 2. जितेन्द्र कुमार, दोनों के पिता—स्व० दरगाही राम, ग्राम—पिपरा खूर्द, पोस्ट—गढ़वा, थाना—गढ़वा, जिला—गढ़वा ने क्रेता श्री मुन्नी चौधरी, पिता स्व० रामसेवक चौधरी, ग्राम—परिहारा, पोस्ट—तिलदाग, थाना—गढ़वा, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरणः—

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
पिपरा खूर्द	343	01	289	0.03	उ०—सच्चितानंद पाण्डेय, द०—विक्रेतागण द्वारा छोड़ा गया 10 कड़ी चौड़ा रास्ता, पू०—कमला सिंह, प०—नीज विक्रेतागण ,
			कुल रकबाः—	0.03	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।

.4.2.23
अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

.4.2.23
अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.02.04 13:00:21 +05:30
Location: 192.168.125.160

Scanned with CamScanner